



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27607 वर्ष 2026

सुशील कुमार

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : दिनेश मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- विद्वान एजीए श्री शत्रुघ्न यादव ने न्यायालय को सूचित किया कि उनके निर्देशों के अनुसार शिकायतकर्ता को 22.7.2026 को नोटिस तामील कराया गया था। चूंकि नोटिस तामील कराए जाने के लगभग एक महीने बाद भी, संशोधित सुनवाई में भी शिकायतकर्ता की ओर से आज तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए इस जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है।
- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश मिश्रा और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री शत्रुघ्न यादव की दलीलें सुनीं।
- यह आवेदन निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस और धारा 5(एन)/6 पोक्सो अधिनियम के तहत, केस क्राइम नंबर 83/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि आरोप के अनुसार, आवेदक ने शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं अपने रिश्तेदारों के घर गई थी और उसने अपने बयान में आवेदक का नाम तक नहीं बताया था, लेकिन जब धारा 183 बीएनएसएस के तहत उसका बयान दर्ज किया गया तो उसने आवेदक का नाम बताया, लेकिन इस बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं आवेदक के साथ गई थी और उससे शादी कर चुकी थी।
- उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में आवेदक और पीड़ित दोनों का विवाह हो चुका है और वर्तमान में भी पीड़ित अपने माता-पिता के साथ आवेदक के घर में रह रहा है।
- उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता आवेदक से भी गर्भवती हो चुकी है।
- उन्होंने आगे कहा कि हालांकि स्कूल के रिकॉर्ड से पीड़िता की उम्र साढ़े चौदह वर्ष दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड से भी यह पता चलता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि कक्षा 7 के प्रमाण पत्र के आधार पर अभियोजन पक्ष ने उसकी उम्र साढ़े चौदह वर्ष बताई है, और जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, उसकी उम्र उसके पहले स्कूल में दाखिले के आधार पर नहीं है, इसलिए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है।

9. उन्होंने आगे कहा कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें पीड़िता का बयान भी शामिल है, इस स्तर पर केवल पीड़िता की उम्र के आधार पर आवेदक की जमानत याचिका को रोकना उचित नहीं है।

10. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 26.05.2026 से जेल में है।

11. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

12. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

13. हालांकि आरोप के अनुसार, आवेदक ने शिकायतकर्ता की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से पता चलता है कि वह खुद अपने रिश्तेदारों के घर गई थी और वहीं रुकी थी और इस बयान में उसने आवेदक का नाम तक नहीं बताया।

14. इसके अलावा, जब धारा 183 बीएनएसएस के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने आवेदक का नाम बताया, लेकिन इस बयान से भी यह पता चलता है कि वह खुद आवेदक के साथ गई थी और उसके साथ शादी भी की थी।

15. इसके अलावा, आवेदक के अनुसार, पीड़िता वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ उसके घर में रह रही है और वह आवेदक से गर्भवती भी है।

16. इसके अलावा, पीड़िता के कक्षा 7 के स्कूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसकी उम्र लगभग साढ़े चौदह वर्ष है, लेकिन उसकी रेडियोलॉजिकल आयु रिकॉर्ड में नहीं है। चूंकि पीड़िता की आयु उसके पहले स्कूल में दाखिले के आधार पर नहीं है, इसलिए न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में दम पाता है कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है।

17. इसके अलावा, मामले के समग्र तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसमें जांच के दौरान दर्ज पीड़िता के बयान भी शामिल हैं, इस न्यायालय के विचार में, केवल पीड़िता की स्कूल रिकॉर्ड में बताई गई उम्र के आधार पर, जांच के दौरान दर्ज उसके दोनों बयानों को नजरअंदाज करते हुए तत्काल जमानत याचिका को रोका नहीं जाना चाहिए।

18. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह पिछले लगभग तीन महीनों से जेल में है।

19. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

20. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

21. आवेदक- **सुशील कुमार** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

22. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 अगस्त, 2026

अंकिता

(समीर जैन)



Translated Judgment. Not for Legal Use.